न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 27 / 2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पाबूराम पुत्र देरामाराम 2. खेराजराम पुत्र देरामाराम जातियान जाट निवासी मोतीनगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. नेनाराम / देरामाराम जाति जाट निवासी मोतीनगर, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी जिला बालोतरा 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 3 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 17.10.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी के खसरा संख्या 267 / 120 रकबा 0.3074 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 09.07.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार [illegible] जवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना [illegible] प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव [illegible] कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी के खसरा संख्या 267 / 120 रकबा 0.3074 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सिणधरी

सं.		ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	पबूराम पुत्र देरामाराम जाति जाट सा.देह रहन–एस.बी.बी.जे शाखा सिणधरी	मोतीनगर	267 / 120	0.1025	बा.सो.	0.01	हरा
2	खेराजराम पुत्र देरामाराम जाति जाट सा.देह	मोतीनगर	267 / 120	0.1025	बा.सो.	0.01	लल
3	नेनाराम पुत्र देरामाराम जाति जाट सा.देह	मोतीनगर	267 / 20	0.1024	बा.सो.	–	पीला

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:49 IST
Reason: SelfAttested